[illegible]/17	पत्रावली पेश हुई। [illegible] अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार - 2017 ग्राम पंचायत [illegible] में पधारे होने के कारण पत्रावली आगामी दिनांक 30/5/17 को पेश हो।
30/5/17	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार - 2017 ग्राम पंचायत 4BGG में पधारे होने के कारण पत्रावली आगामी दिनांक 22/6/17 को पेश हो।
22/6/17	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार - 2017 ग्राम पंचायत 23 वाला में पधारे होने के कारण पत्रावली आगामी दिनांक 3/7/17 को पेश हो।
3/7/17	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार - 2017 ग्राम पंचायत रवरला में पधारे होने के कारण पत्रावली आगामी दिनांक 25/7/17 को पेश हो।
25/7/17	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने उपस्थित होकर पत्रावली के साथ संलग्न कागजात की मूल कागजात से मिलान हेतु प्रार्थी ने मूल कागजात प्रस्तुत किये, जो मिलान बाद प्रार्थी को पुन: लौटा दिये गये। वसीयत के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई।

Scanned by CamScanner

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	मुताबिक रिपोर्ट पटवारी आराजी चक 24ओ के मु0नं. 34, 35, 37 में कुल रकबा 13.231 है0. नहरी में से 0.481 है0. नहरी भूमि मलकीयतकार पवित्र (प्यारा)सिंह पुत्र जालसिंह जाति जटसिख के नाम से खातेदार दर्ज राजस्व अभिलेख है। प्रश्नगत रकबा पैतृक भूमि न होकर स्व: अर्जित है। प्रश्नगत रकबा पर कब्जा काश्त वसीयत अनुसार है। प्रश्नगत रकबा MGB ग्रामीण बैंक शाखा गजसिंहपुर के नाम रहन दर्ज है। प्रश्नगत रकबे पर किसी न्यायालय का स्थगन इत्यादि नहीं है। प्रश्नगत रकबा सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है। प्रश्नगत रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित/अवाप्त नहीं है। इस कार्यालय के पत्रांक/ वा.प्र./भू.अ./2017/465-66 दिनांक 8/3/17 द्वारा जारी आपत्ति/एतराज बाबत सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र "दैनिक राष्ट्रीय छवि" दिनांक 11/3/2017 के अंक पृष्ठ संख्या 4 कॉलम संख्या 5 पर प्रकाशित हुई है। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आदिनांक तक इस कार्यालय में कोई आपत्ति/एतराज प्रस्तुत नहीं हुए है। वसीयत में दर्ज गवाहान श्री भगवाना राम पुत्र गाडा राम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 05 श्रीकरनपुर व संदीपसिंह पुत्र श्री गुरतेजसिंह जाति जटसिख निवासी 24ओ तहसील श्रीकरनपुर के बयानानुसार वसीयतकर्ता मलकीयतकार द्वारा वसीयत पूरे होश हवास में, बिना किसी नशे पते के, बिना किसी दबाव/उत्पीड़न/प्रताड़ना के वसीयत करना, अपनी पूर्ण स्वेच्छा से और अपनी पूर्ण रजामन्दी से वसीयत करना, वसीयत के सम्बन्ध में मौके पर कोई विवाद न होना, मौके पर कब्जा काश्त वसीयत अनुसार होने बाबत दर्ज करवाये है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, गवाहान के बयानात, रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन व मनन किया गया। राजस्थान भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम [illegible]	

अनपान..........

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीकरनपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तारीख
	131(2) के तहत वसीयत की वैधता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पटवारी हल्का को अन्तर्गत धारा 135(2) LR Act के तहत राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद करने हेतु पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली में फैसल शुमार होकर नक्शे में दर्ज होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	तहसीलदार (भू अभि0) श्रीकरणपुर (राज)	

Scanned by CamScanner